DESHKAL SOCIETY

वासभूमि का हक़

त्रैमासिक बुलेटिन अक्तूबर–दिसम्बर 2012

आवासभूमि वैधानिक हकदारी हेतु आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया

1. सामुदायिक संगठन की बैठक में सर्वप्रथम कथित भूमि पर वास कर रहे परिवारों का उस भूमि पर हक एवं कब्जा वैधानिक है या नहीं। इस प्रक्रिया में लाभार्थियों की पहचान कर उनकी सूचि तैयार की जाती है। सूचि में लाभार्थि (सामान्यतः महिलाएं) के पति का नाम तथा भूखण्ड की चौहद्दी का उल्लेख किया जाता है।
2. आवेदन करने के दूसरे चरण में गांव का मानचित्र प्रयोग में लाया जाता है। यदि मानचित्र उपलब्ध न हो तो राजस्व विभाग के जिला रिकार्ड रूम से परामर्श किया जाता है। मानचित्र वहां भी उपलब्ध न होने की अवस्था में पटना स्थित शासकीय मुद्रणालय से सम्पर्क किया जाता है।
3. मानचित्र प्राप्त होने पर एक गैर-शासकीय अमीन की सेवाएं ली जाती हैं। अमीन और मानचित्र की सहायता से उस भू-खण्ड का खसरा नम्बर तथा पैमाइश की जाती है जिसे लाभार्थि हेतु प्रस्तावित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर एवं पैमाइश उपरान्त गांव के कर्मचारी से सम्पर्क किया जाता है। कर्मचारी द्वारा भूखण्ड के वर्ग का सत्यापन किया जाता है - वह गैरमजरूआ आम, खास या रैय्यति है। भूखण्ड वर्ग सत्यापन पश्चात फार्मों का भरना शुरू हो पाता है। इस प्रक्रिया में सामुदायिक संगठन द्वारा प्रत्येक लाभर्थि का विवरण दर्ज किया जाता है। विवरण दाखिल होने के पश्चात लाभर्थि का हस्ताक्षर या अंगुठा निशान लिया जाता है।
5. देशकाल सोसायटी के नेटवर्क पार्टनरों द्वारा इस प्रकार भरे फार्म इनके कार्यालय लाए जाते हैं। उनके आधार पर एक प्रोप्रोजल/प्रस्ताव तैयार किया जाता हैं। इस प्रोप्रोजल/प्रस्ताव में संबंधित गांव का पोर्टफोलियो तथा लाभर्थियों का आवेदन में दर्ज विवरण रहता है।
6. भरे फार्म सर्कल आफिस में जमा किए जाते हैं। प्रत्येक फार्म एक आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाता है जिसके द्वारा आवेदन की दाखिली तथा प्रोसेसिंग का निवेदन रहता है।

आवेदन दाखिल होने के पश्चात की प्रक्रिया

आवेदन दाखिल होने के पश्चात सर्किल ऑफिस द्वारा संबंधित गांव कर्मचारी को कथित भूखण्ड के वर्ग सत्यापन का निर्देश जारी किया जाता है। कर्मचारी और अमीन सहित संबंधित गांव जा कर भूखण्ड की जांच कर उसका वर्ग-सत्यापन दर्ज करता है। इसकी सूचना वह सर्कल निरीक्षक को भेजता है।

इस सूचना की जांच पश्चात सर्कल निरीक्षक द्वारा उसे सर्कल आफिस प्रेषित किया जाता है। सर्कल आफिस द्वारा सम्बंधित भूखण्डों पर स्वामित्व रखने वाले पक्षों के पास भेजा जाता है। यानि गैरमजरिया आम भूखण्ड है तो ग्राम सभा को, गैरमजरूआ खास है तो गांव को, एवं रैय्यति है तो जमानदार के पास किसी भी कथित पक्ष को आपति हो तो वह दाखिल की जा सकती है। आपत्ति प्राप्त न हो पर लाभार्थि को पट्टा जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।

विषय सूची

1. आवासभूमि वैधानिक हकदारी हेतु आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया 1
2. गया जिले के मोहनपुर प्रखण्ड में पदासीन सर्कल अधिकारी श्री अरविन्द कुमार से बातचीत 2
3. मुखिया से साक्षात्कार 3
4. सामुदायिक संगठन प्रमुख से साक्षात्कार 4
5. प्रोजेक्ट की रूपरेखा 6

आपत्ति होने पर प्रक्रिया

यदि कथित भूखण्ड गैरमजरूआ आम वर्ग का है तो ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में प्रस्तावित भूखण्ड की उपादेयता का आंकलन किया जाता है। तदनुसार ग्राम सभा उक्त भूखण्ड की बंदोबस्ती पर अपना निर्णय देती है। इस संबंध में ग्रामसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। यह प्रस्ताव आगे सर्कल आर्फिस को प्रेषित किया जाता है। सदोपरान्त, सर्कल आफिस, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव सहित LRDC को प्रस्तावना करता है। उपयुक्त अवलोकन पश्चात LRDC द्वारा यह प्रस्तावना SDO को प्रेषित किया जाता है। वहां से प्रस्तावना ADM भूराजस्व को प्रेषित किया जाता है। अन्ततः ADM भू-राजस्व द्वारा उसे आयुक्त भू-राजस्व के पास प्रेषित किया जाता है।

गैरमजरूआ खास और गैर मजरूआ आम भूमि प्रांतीय शासन के अधीन होती है। भू-हकदारी आवेदन के प्रस्ताव सर्कल आफिस द्वारा उपायुक्त भू-राजस्व के यहां भेजे जाते हैं। वहां से ये फाईल SDO को पुनः प्रोषित की जाती है। तत्पश्चात्, SDO द्वारा हस्ताक्षति परवाना जारी कर आवासीय भूमि के वैधानिक स्वामित्व की प्रक्रिया पूर्ण होती है।

गया जिले के मोहनपुर प्रखण्ड में पदासीन सर्कल अधिकारी श्री अरविन्द कुमार से बातचीत

भू-प्रात्रता के विषय पर शासकीय प्रयासों एवं प्रक्रियाओं को लेकर मोहनपुर प्रखण्ड के सर्कल अधिकारी से एक लम्बी बातचीत हुई। आवास भूमि आबंटन हेतु लाभार्थियों की संख्या एवं चयन को लेकर प्रस्तावित ग्रामों में सर्वप्रथम एक सर्वे किया गया। आवास भूमि हीन महादलित परिवारों का यह सर्वे विकास मित्रों द्वारा किया गया तदोपरान्त जिस भूमि पर वह रह रहे थे इसका स्तर निशिचित कर - गैरमजरूआ, खास, या रैय्यति - इस पर आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अमीन द्वारा नपाई पश्चात् ही भूमि का त्यापन किया गया। ऐसे परिवारों की चयन प्रक्रिया जाबत श्री अरविन्द कुमार ने बताया कि उन्हीं परिवारों का सर्वे किया गया जो बिना परवाना या पर्चा के थे।

भू-आबंटन एवं केवाला के स्थान पर परवाना प्रदान किया जाता है। तथा यह कार्य अभी भी जारी है। यह पूछे जाने पर कि क्या पर्चाधारी परिवारों ने प्रदत्त भूखण्डों पर रहना प्रारम्भ कर दिया है, श्री कुमार ने बताया कि संबंधित परिवार अपने पुराने आवासों को नहीं छोड़ना चाह रहे है क्योंकि पुराने भूखण्डों पर तो वह रह ही रहे है तथा नए पर कानूनी स्वामित्व पा चुके हैं, ऐसी स्थिति में वह दोनों पर ही काबिज रहना चाहते दिखते हैं। क्योंकि नई भूमि एक-मुशत क्रय की गई थी, वहां जल, सड़क, साफ-सफाई की कैसी सुविधाएं प्रदत्त हुई हैं, श्री कुमार ने बताया कि ऐसी सुविधा हेतु राशि राजस्व विभाग के पास होती है। उसमें से 60,000 निकाले जा चुके हैं एवं कार्य प्रगति पर है। वैसे भी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ऐसी सुविधाओं का प्रावधान है। बहरहाल, विशेषतः आवास भूमि आवंटन के लाभार्थियों हेतु ऐसी किसी सुविधा या रखरखाव की जानकारी उन्होंने नहीं दी।

शासकीय नीतियों एवं अधिनियमों पर श्री कुमार ने कहा कि वेतनमान कानूनों एवं प्रावधानों के अंतर्गत एक भूमिहीन महादलित परिवार को 3 डिसमिल भूमि प्रदत्त की जा सकती है। आबंटन हेतु ऐसी भूमि 3 प्रकार की है - गैरमजरूआ खास, गैरमजरूआ आम एवं रैय्यति। क्योंकि गैरमजरूआ खास सीधे शासन के अधीन होती है, उसके आबंटन में अड़चन नहीं होती। गैरमजरूआ आम भूमि गांव की अधीन होती है तो उसमें आम सभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। रैय्यति भूमि पर स्पष्ट शासकीय प्रावधान है कि यदि कोई कमिया ऐसी भूमि पर निरंतर तीन वर्ष से आवासित है तो उस भूमि के बंदोबस्त के लिए रैय्यत को नोटिस भेजा जा सकता है। जमीनदार को आपत्ति न होने पर उस भूमि का आबंटन हेतु बंदोबस्त किया जा सकता है। आपत्ति होने पर मामला LRDC कोर्ट भेजा जाता है जहां तीन माह के भीतर उसका निराकरण किया जाता है।

यदि उपरोक्त तीनों भू-वर्गों में किसी में भी आबंटन हेतु भूमि उपलब्ध न हो तो शासन क्रय कर भू-आबंटन करता है।

आवासहीनों को पट्टा दिया जाने के प्रश्न पर श्री कुमार ने कहा कि उनके विभाग द्वारा चयनित महादलित परिवारों में से 500-550 का बंदोबस्त किया जा चुका है। इसके अलावा 92 परिवारों हेतु रैय्यत भूमि का क्रय किया जा चुका है। पट्टाहीन परिवारों पर आवश्यक आंकड़ों एवं जानकारी उनके विभाग द्वारा संग्रहित की जाती है। उसके रख-रखाव की जिम्मेवारी मुख्य लिपिक की होती है। यह पूछे जाने पर कि ऐसे संग्रहण की ओर क्या प्रभावकारी पद्धतियां हो सकती हैं तो उन्होंने कहा कि वर्तमान पद्धति पर्याप्त है तथा उसमें फेरबदल की अभी कोई आवश्यकता नहीं। भूमिहीन परिवारों के लिए पट्टा प्राप्त करने हेतु यह पद्धति सरल है।

उन्होंने बताया कि भूमि-आबंटन हेतु यद्यपि शासन की ओर से कोई अड़चन नहीं है। गैर मजरूआ या रैय्यति भूमि महादलितों में आबंटन को लेकर यदा-कदा गांवों की ओर से अड़चनें आती हैं। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि वर्तमान शासकीय नीतियां एवं अधिनियम भू-आबंटन हेतु प्रर्याप्त हैं।

मुखिया से साक्षात्कार

नाम	:	ज्योति रंजन
आयु	:	36 वर्ष
वर्ग	:	अनुसूचित जाति
शैक्षणिक योग्यता	:	बी.ए., अर्थशास्त्र (आनर्स)
पद	:	मुखिया (2011 से वर्तमान तक)
ग्राम	:	मंझियावा
प्रखण्ड	:	परैया
जिला	:	गया (बिहार)

आवासीय भूमि की हकदारी की गति को एवं पेचीदगियों को समझने के लिए ग्राम स्तर के दृष्टिकोण को जानना आवश्यक है। हितकारी एवं हितग्रहों के मानस एवं पूर्वाग्रहों से परिचित होने के लिए गांव/टोला मुखिया उपयुक्त व्यक्ति होता है। भूमि-हीनों से संबंधित कानूनी हकदारों के सामाजिक एवं शासकीय प्रयासों के आयामों को समझने हेतु ग्राम मंझियावा के मुखिया श्री ज्योति रंजन के साथ एक बैठक की गई। श्री रंजन स्वयं एक हाशिये के समुदाय से आते हैं।

श्री रंजन ने बताया कि आवासीय पट्टा प्राप्ति एक जटिल एवं लम्बी प्रक्रिया है। इसमें अनेकों स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता रहती है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें शासकीय नीतियों एवं अधिनियमों को जानकारी है, उन्होंने कोई स्पष्ट या विशिष्ट उत्तर नहीं दिया। बहरहाल, उन्होंने बताया कि हकदारी को लेकर उनके पास व्यावहारिक जानकारी एवं समझ है। आवेदन पद्धति पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि आवेदन प्रखण्ड स्तर पर राजस्व विभाग में सर्कल अधिकारी के पास जमा करना होता है।

गैर मजरूआ आम भूमि पर हकदारी हेतु ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। बैठक में गांव के दृष्टिकोण से कथित भूमि को उपयोगिता का आंकलन किया जाता है, क्योंकि गैरमजरूआ आम भूमि समस्त गांव के उपयोग की होती है तो उस पर निर्णय भी बहुमत से पारित किया जाता है। प्रस्ताव पारित होने पर उसे सर्कल अधिकारी के पास भेजा जाता है जहां से अगली कार्यवाही होती है। रैयत भूमि के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें बंदोबस्त

के लिए भू-स्वामि को सहमति आवश्यक होती है। अन्यथा ऐसी भूमि के विषय को प्रखण्ड स्तरीय राजस्व विभाग में निर्णय के लिए भेज दिया जाता है।

आवसभूमि के बंदोबस्त से जुड़ी दूसरी समस्या सामाजिक एवं शासकीय अड़चनों की है। ज्योति रंजन ने बताया कि गैरमजरूआ आम भूमि आबंटन को लेकर बहुधा विरोध रहता है। यह भूमि अधिकतः गांव के प्रभावशाली तबके के हाथ में होती है जिसे वह खोना नहीं चाहते हैं। श्री रंजन का यह कहना भी था कि लाभार्थि अक्सर आबंटित भूमि जमींदार को लौटा देते हैं। उन्हें भय रहता है कि जमींदार के हित का विरोध करने पर जीविका की समस्या होगी। ये हाशिये के लोग हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर अपनी जमीन जमींदार को सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हो जाते हैं तथा पुनः भमिहीन हो जाते हैं। शासकीय अड़चनों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि अधिकारियों में रूचि की कमी है तथा गांव के मामलात से बचना चाहते हैं। उच्च शासकीय अधिकारियों के समक्ष तो बंदोबस्त सहजता से हो जाते हैं। किन्तु ऐसे अधिकारी बार-बार निवेदन करने पर एक-आध बार ही आते हैं, और वह भी अल्प समय के लिए। कई बार तो स्वयं श्री रंजन अपने स्तर पर बंदोबस्ती के लिए कह दिया जाता है। शासन के ऐसे रवैये एवं उदासीनता आवासीय भू-आबंटन प्रक्रिया में बाधक है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह बंदोबस्ती प्रक्रिया को सरल और प्रभावकारी बनाए जाने का परामर्श शासन को देंगे, श्री रंजन ने कहा कि यह आवश्यक है कि सरकारी तंत्र को मजबूत किया जाए तथा अधिकारियों के निर्धारित कार्य पर सतत निगरानी रखी जाए। ग्राम स्तर पर मामलों के निवारण हेतु अमीनों एवं कर्मचारियों का बहुतायत में होना आवश्यक है। उन्होंने आगे सुझाया कि महादलितों की वैकल्पिक जीविका का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि उन्हें पुनः अपनी भूमि बेचने पर बाध्य न होना पड़े।

सामुदायिक संगठन प्रमुख से साक्षात्कार

नाम	:	श्री देवी लाल पासवान
आयु	:	40 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	:	आठवीं
वर्ग	:	अनुसूचित जाति
ग्राम	:	दखिनेर
पंचायत	:	अजमतगंज
प्रखण्ड	:	परैया
जिला	:	गया (बिहार)

सामुदायिक संगठन प्रमुख के साथ यह साक्षात्कार एक प्रश्न से आरम्भ हुआ। उनसे पूछा गया कि ग्राम एवं पंचायत स्तरीय एक सामुदायिक संगठन बनाने की क्या प्रक्रिया होती है एवं उसमें क्या करना होता है? उनसे यह भी बताने का अनुरोध किया गया कि संगठन बनाने में उनके समक्ष क्या कठिनाइयां आईं और उन्होंने किस प्रकार उनका निराकरण किया? श्री पासवान ने बताया कि संगठन बनाने के पूर्व उन्होंने समुदाय (महादलित) की एक बैठक का आयोजन किया। समुदाय के सभी व्यसक सदस्यों ने इसमें हिस्सेदारी को। समुदाय के विकास के लिए ऐसे संगठन की महत्ता एवं आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि संगठन का निर्माण लोकतांत्रिक प्रणाली से हुआ। अध्यक्ष एवं सचिव सहित इसमें 20 सदस्य हैं। जो-जो सदस्य होना चाहते थे उन्होंने अपने-अपने नाम स्वेच्छा से दिये। तत्पश्चात् मतों के आधार पर 20 सदस्यों का चयन किया गया। इन्हीं में से अध्यक्ष एवं सचिव मनोनीत हुए। इन पर भी मतदान हुआ। सर्वाधिक मत पाने वाले दो सदस्यों को अध्यक्ष एवं सचिव चयनित किया गया। सभी सदस्यों ने रजिस्टर में हस्ताक्षर दिए एवं सभी का विवरण दर्ज किया गया।

अगला प्रश्न था कि संगठन सदस्यों के पश्चात् - स्तरीय प्रशिक्षण प्रमुख स्तर उनकी अपनी भूमिका निभाने में क्या योगदान रहा, तथा सांगठिनक मीटिंगों में किस-किस प्रकार के विषयों पर चर्चा होते हैं? श्री पासवान ने बताया कि उनके समाज के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती चेतना का अभाव है। कोई नहीं है जो हमें हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी दे सके। सदस्यों के प्रशिक्षण से उन्हें अपनी भूमिका निबाहने में बहुत योगदान मिला है। प्रशिक्षण का उद्देश्य चेतना निर्मित करना तथा उसके आधार पर कार्यक्रम बनाना था। हमें हमारे अधिकारों की जानकारी दी गई। विशेषकर आवासीय भूमि पर कानून स्वामित्व के विषय में। ऐसे प्रशिक्षणों से ही हमें ज्ञात हुआ कि हम जैसे भूमिहीनों को तीन-तीन डिसमिल जमीन देने के शासकीय अधिनियम हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रशिक्षण में उन्हें भू-अधिकारों की जानकारी प्राप्त हुई, दलित अत्याचार अधिनियम, शिक्षा की प्रासंगिता तथा बच्चों में शिक्षा की आवश्यकता, सूचना के अधिकार आदि की उन्हें ऐसे प्रशिक्षण से जानकारी मिली तथा उन्होंने संगठन की मासिक मीटिंगों में उसका विस्तार किया।

आवेदन देने को लेकर श्री पासवान ने बताया कि संगठन की मुख्य भूमिका आवेदन प्रक्रिया पर जानकारी देने की है। संगठन की दूसरी भूमिका, CSO कार्यकर्ताओं द्वारा वास्तविक लाभार्थियों के चयन में सहयोग एवं सहायता की है। मासिक मीटिंगों में लाभार्थियों के नाम चयनित कर CSO को दिए जाते हैं। कभी-कभी संगठन सदस्य CSO कार्यकर्ताओं के साथ सर्कल कार्यालय भी जाते हैं। श्री पासवान ने आगे कहा कि जहां एक ओर समुदाय की ओर से अड़चनें नहीं आती, वहीं दूसरी ओर

शासकीय अधिकारियों का रुख वांक्षनीय है। तिथि निर्धारित होने पर भी अमीन या अन्य कर्मचारी गांव नहीं पहुंचते। कई गांवों का कार्यभार एक अमीन के हाथ होता है, नई नियुक्तियां लम्बे समय से नहीं हुई। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत में केवल एक कर्मचारी नियुक्त होता है जिसके कारण कार्य प्रक्रिया सुचारू नहीं रह पाती। पर्चा/पट्टा हेतु आवेदन जमा होने पश्चात् कार्यवाही के विषय में उन्होंने बताया कि CSO इस बारे में सक्रिय हैं। वह स्वयं कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के प्राप्त करते रहते हैं। CSO भी संगठन की मासिक मीटिंगों में समुदाय को आवेदनों की प्रगति को जानकारी देते रहते हैं।

यह पूछे जाने पर कि समुदाय पर संगठन का कैसा प्रभाव हुआ है, श्री पासवान ने बताया कि संगठन बनने से पूर्व महादलित समुदाय के हित में शासकीय नीतियों एवं अधिनियमों को कोई जानकारी समुदाय को नहीं थी। समुदाय ने अपने बच्चों की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया, तथा मदिरा सेवन आदि की संस्कृति चलती रही। किन्तु अब समुदाय अपने अधिकारों के प्रति सजग तथा संघर्ष को तैयार है। बच्चों की शिक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है। स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। महिलाओं में पुरुषों द्वारा मदिरा सेवन पर चर्चा बनी है। वर्तमान में संगठन समुदाय का विश्वास प्रात्र है तथा अपनी समस्याओं को लेकर संगठन से आशान्वित है।

प्रोजेक्ट की रूपरेखा

1.	प्रोजेक्ट का शीर्षक	अनुसूचित जाति, विशेषकर महिलाओं, भू-हकदारी हेतु क्षमता सवंर्धन एवं पैरवी। जिला-गया, बिहार
2.	कुल अवधि	48 माह
3.	CSO नाम (नेटवर्क प्रोजेक्ट हो तो लीड एवं पार्टनर नाम)	लीड : देशकाल सोसायटी प्रार्टनर : ग्राम निर्माण केन्द्र, लोक शक्ति शिक्षण केन्द्र और प्रखण्ड ग्राम स्वराज सभा
4.	प्रोजेक्ट उद्देश्य एवं प्रसंग	राजस्व भूमि एवं शिक्षण
5.	प्रोजेक्ट क्षेत्र	प्रांत संख्या : 1 जिला : 1 प्रखण्ड : 4 पंचायत : 54 राजस्व ग्राम : 480 टोला : 1440

6. प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या/ परिवार	प्रत्यक्ष संपर्क				अप्रत्यक्ष संपर्क
	परिवार संख्या	जनसंख्या			
		महिला	पुरुष	कुल	
अनुसूचित जाति	42,445	1,03,805	1,08,428	2,12,233	1,62,557
अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-
मुस्लिम	-	-	-	-	-
विकलांग	2,272	7664	7995	15658	
महिलाएं (समाजिक हाशिए के समुदायों के अलावा) यदि है।	-				
अन्य (यदि है)	-				
कुल	44,717	1,11	1,16	2,27	1,62,557

7.	राजस्व भूमि 1. अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार (1001) द्वारा परवाना/परचा प्राप्ति) 2. शासकीय अतिरिक्त कृषि भूमि का 101 अनुसूचित जाति में वितरण 3. 75% अनुसूचित जाति महिलाओं द्वारा शासकीय सेवाओं की पुष्टि प्रारंभिक शिक्षा 1. 100 बच्चों का स्कूलों में नामांकन 2. 40: बच्चों का स्कूलों में कक्षा 5 तक बने रहना। 3. 60: बच्चों को प्रतिदिन मध्याहन भोजन प्राप्ति।

वह परिवार जो प्रत्यक्ष रूप से प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आते किन्तु प्रोजेक्ट के चेतना/जागरण/अभियान के अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र में आते हैं।

परिवार एवं जनसंख्या के आंकड़े 2001 जनगनणा पर आधारित है।

पंचायत के स्तर पर बनाए गए सीबीओ

क्र. सं.	पंचायत	ब्लॉक
1	अमैठी	वजीरगंज
2	बिछा	वजीरगंज
3	विष्णपुर	वजीरगंज
4	दखीन गाव	वजीरगंज
5	जमुनावान	वजीरगंज
6	केनार फतेपुर	वजीरगंज
7	खुरखीहर	वजीरगंज
8	पुनावा	वजीरगंज
9	स्याईहा	वजीरगंज
10	चर्का	अतरी
11	धुसारी	अतरी
12	जिरी	अतरी
13	नरवती	अतरी
14	सीनर	अतरी
15	सोहरा	अतरी

क्र. सं.	पंचायत	ब्लॉक
16	अजमत गंज	परैया
17	बगाही	परैया
18	कापासिया	परैया
19	कर्ताहता	परैया
20	मंगारवान	परैया
21	परैया खुर्द	परैया
22	पुन कला	परैया
23	सालरा	मोहनपुर
24	अमकोला	मोहनपुर
25	अमवर्ती	मोहनपुर
26	बागुला	मोहनपुर
27	बोमोर	मोहनपुर
28	धारहरा	मोहनपुर
29	दिवान	मोहनपुर
30	दिवान	मोहनपुर

इस बुलेटिन के लिए पैक्स परियोजना
से आर्थिक सहयोग मिला है।
इसमें व्यक्त किए गए विचार
देशकाल सोसायटी के हैं। इसका संबंध
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
पैक्स से नहीं है।

DESHKAL SOCIETY

देशकाल सोसायटी

205 द्वितीय तल, इन्द्रा विहार दिल्ली-110 009
टेली फैक्स : 011-2765 4895
E-mail : deshkal@gmail.com
Website : www.deshkalindia.com

क्षेत्रीय कार्यालय
नूतन नगर, न्यू एरिया, गया, बिहार
फोन : 0631-2220539